प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

3 days "**Sensitization of police and Prisons Officials on the Implementation of Transgender persons (Protection of Rights) Act 2019 & Rule 2020**""

(For Asst. Sub Inspector to Inspector)

दिनांक 19-05-2022 से 21-05-2022

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

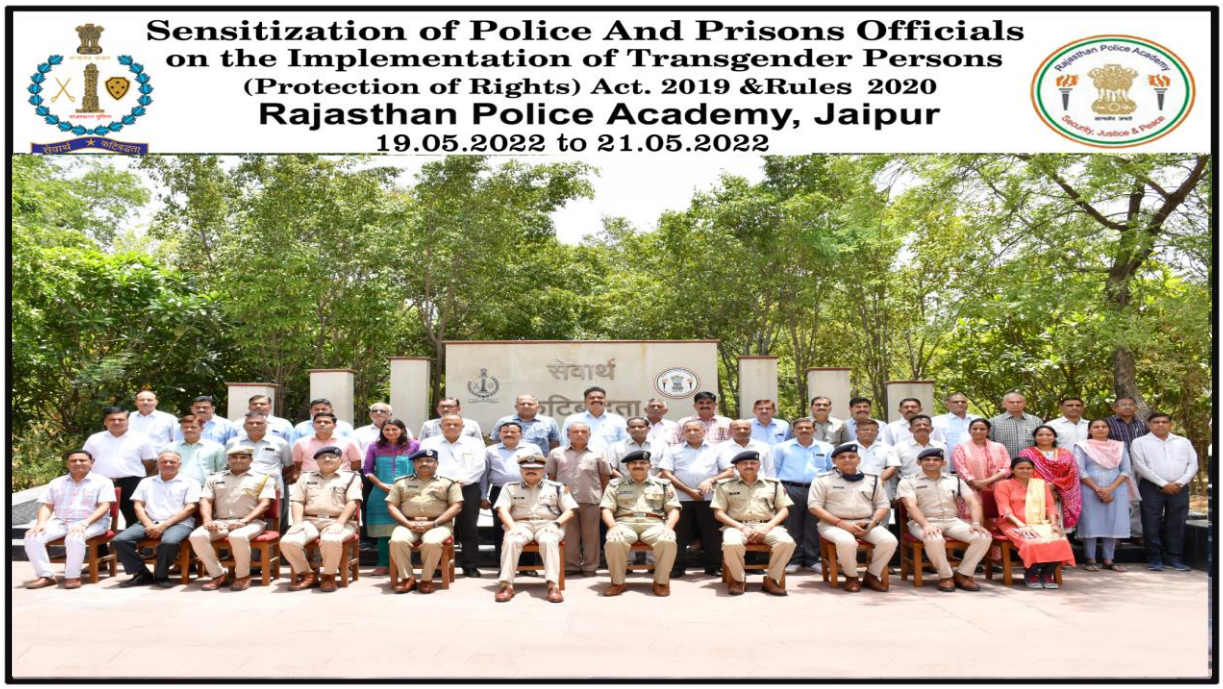

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 19-05-2022 से 21-05-2022 तक "**Sensitization of police and Prisons Officials on the Implementation of Transgender persons (Protection of Rights) Act 2019 & Rule 2020"** विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 02 में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के सहायक निदेशक (एसआईसी) राजस्थान पुलिस अकादमी के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 42 प्रतिभागियों जिसमें 16 पुलिस निरीक्षक, 12 उप निरीक्षक, 14 सहायक उप निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम सत्र में श्री विकास पाठक, आईपीएस, उप महानिरीक्षक पुलिस, सिविल राईटस, राजस्थान ने सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में ट्रांसजेंडर समुदाय को समझना (ट्रांसजेंडर व्यक्ति: अवधारणाएं, परिभाषाएं; सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्कृति और हिरासत और अन्य वास्तविक जीवन स्थितियों के दौरान ट्रांस जेंडर के साथ पुलिस जुड़ाव) । द्वितीय सत्र में सुश्री पुष्पा माई, नई भोर एनजीओ फॉर ने ट्रांसजेंडर्स राइट्स एंड वेलफेयर, बानी पार्क जयपुर ने ट्रांस जेंडर के सामने आने वाले मुद्दे और संवेदनशीलता की आवश्यकता और उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामाजिक कलंक, भेदभाव और पहचान और मान्यता की आवश्यकता पर व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में मिस देविका मंगलमुखी सामाजिक कार्यकर्ता ने ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 (टीजी अधिनियम 2019 के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय और नियम 2020 पर विस्तार से अपना व्याख्यान दिया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्री सुरेश कुमार लेखरा, एडीपी, आरपीए, जयपुर ने ट्रांस जेंडर से संबंधित कानूनी प्रावधान और ट्रांस जेंडर के खिलाफ शारीरिक अपराध से संबंधित टीसीजे और ट्रांस जेंडर के खिलाफ शारीरिक अपराधों की जांच पर विस्तार से व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री संजीव चौहान, पुलिस निरीक्षक, ट्रांसजेंडर सेल (पीएचक्यू) जयपुर ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कानूनी अधिकारों को साकार करने में पुलिस पेशेवरों की सर्वोपरि भूमिका अध्याय आठ का गहन विश्लेषण, अपराध और दंड (टीजी अधिनियम 2019) और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियां और ट्रांस जेंडर के खिलाफ भेदभाव की शिकायतों की जांच पर विस्तार से चर्चा की। तृतीय सत्र में श्री। सुवा लाल पहाड़िया, अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान ने योजनाएँ और पहल: राजस्थान के विशेष संदर्भ में बताया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र में श्री। नाहिद मोहम्मद क्षेत्रीय समन्वयक आईईसी और मेनस्ट्रीमिंग ने शिकायत निवारण के लिए संस्थागत तंत्र (टीजी के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, नियम 13: शिकायत निवारण) ट्रांस जेंडर के शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल अधिकार के बारे में बताया। कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। समापन सत्र में श्री कैलाश चंद्र, डीआईजी, आरपीए के द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। समापन सत्र के अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

हस्ताक्षर
कोर्स निदेशक